न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुश्री प्रिया बजाज

प्रकरण सं0 : 6/2024

उनवान :

गोविन्द पूनियां पुत्र बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. बलवन्त सिंह पुत्र माईराम जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
2. मोनिका पत्नी बलवन्तसिंह जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
3. कलावती पुत्री बलवन्तसिंह पत्नी सुनिल जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा हाल खैरमपुर तहसील आदमपुर।
4. कमलेश पुत्री बलवन्तसिंह पत्नी अनिल कुमार जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा हाल खैरमपुर तहसील आदमपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राधेश्याम गोगामेड़ी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 192/203 के ख0सं0 317 की 2.2510 है0 तथा ख0सं0 565/1 की 6.5120 है0, ख0सं0 668/3 की 1.9220 है0 कुल खसरे 3 की 10.6850 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बलवन्तसिंह के नाम 3749/10685 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 बलवन्तसिंह अकेले की बजाय वादी गोविन्द पूनियां, प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्तसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 तथा 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.03.06 17:36:20 IST
Reason: SelfAttested

(प्रिया बजाज)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुश्री प्रिया बजाज

प्रकरण सं0 : 6/2024

अनवान :

गोविन्द पूनियां पुत्र बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. बलवन्त सिंह पुत्र माईराम जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
2. मोनिका पत्नी बलवन्तसिंह जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
3. कलावती पुत्री बलवन्तसिंह पत्नी सुनिल जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा हाल खैरमपुर तहसील आदमपुर।
4. कमलेश पुत्री बलवन्तसिंह पत्नी अनिल कुमार जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा हाल खैरमपुर तहसील आदमपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : **वादी**

वकील श्री राधेश्याम गोगामेड़ी : **प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

दिनांक : 03.03.25

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 192/203 के ख0सं0 317 की 2.2510 है0 तथा ख0सं0 565/1 की 6.5120 है0 ख0सं0 668/3 की 1.9220 है0 कुल खसरे 3 की 10.6850 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बलवन्तसिंह के नाम 3749/10685 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।वादभूमि पहले वादी के दादा माईराम की खातेदारी हुआ करती थी जो माईराम के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में गोविन्द पूनिया पुत्र बलवन्तसिंह जाति [illegible] निवासी डाबड़ी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी [illegible] डाबड़ी खाता संख्या 192/203 सम्वत 2075–78 प्रदर्श 1, नामान्तरण [illegible] प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डाबड़ी प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.03.06 17:36:20 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम डाबड़ी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 192/203 के ख0सं0 317 की 2.2510 है0 तथा ख0सं0 565/1 की 6.5120 है0 ख0सं0 668/3 की 1.9220 है0 कुल खसरे 3 की 10.6850 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बलवन्तसिंह के नाम 3749/10685 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 बलवन्तसिंह अकेले की बजाय वादी गोविन्द पूनियां व प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्तसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 तथा 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 192/203 के ख0सं0 317 की 2.2510 है0 तथा ख0सं0 565/1 की 6.5120 है0 ख0सं0 668/3 की 1.9220 है0 कुल खसरे 3 की 10.6850 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बलवन्तसिंह के नाम 3749/10685 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 बलवन्तसिंह अकेले की बजाय वादी गोविन्द पूनियां, प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्तसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 तथा 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आंशिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.25...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3.3.25

(प्रिया बाजाज) आरजेएस
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा
कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.03.06 17:36:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner